राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम–''मिनी रत्न''–कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान–335702
सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone :01498-261202,
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक: के.रा.फा. / जैत. / कृषि / 10–18 / 2026–27 / दिनांक: 29.05.2026

ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) मे खरीफ 2026, रबी 2026–27 जायद 2027 मे फार्म के खण्ड– 1, 2, 3 व मे मुख्य कृषि कार्य जैसे पलेवा, निराई–गुड़ाई, खालों की सफाई, रोगिंग, खाद एवम् रसायनों के छिड़काव, फेंसिग एरिया के आसपास की सफाई सहित सभी कार्य व अन्य उद्यानिकी कार्यों को ठेके के आधार पर करवाने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से ई–निविदा दिनांक 12.06.2026 को दोपहर 2:30 बजे तक ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 03:00 बजे खोली जायगी। नियम शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर देखी जा सकती है, जिस पर ई–निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है। आगे कोई भी सूचना एवं शुद्धिपत्र होगा तो, वेबसाईट www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर ही डाला जायेगा।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

Particulars	**Details**
Date of issue of NIT	**29-05-2026**
Date and time for submission of online bid	**From 30.05.2026 11:00 AM** **To 12.06.2026 02.30 PM**
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	**12.06.2026 on 3:00 PM**
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	**Rs. 590.00 (Rs. 500+18% GST)**
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	**Block-1 = 1,00,000/-** **Block-2= 30,000/-** **Block -3 = 1,00,000/-** **EPO= 30,000/-**
Address for communication	**Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)**
Contact Person (with Phone No. & Email)	**Incharge (Prodn.) Phone No.- 9694302815, Email : csf.jetsar@indiaseeds.com**

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

II. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

III. Bidders must have a valid email id and mobile number.

IV. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

V. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

VI. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

VII. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

VIII. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

IX. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

X. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

XI. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

XII. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

XIII. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

XIV. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

XV. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

XVI. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

XVII. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

XVIII. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

XIX. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

XX. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702
सी.आई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sri Ganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/**Phone:01498-61202,**
वेबसाईट/**Website:** www.indiaseeds.com ईमेल/**E-mail**- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा./जैत/10–41/कृषि/2026–27/ दिनांक 29.05.2026

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	**Details**
Name of E-tender	
Father name of the E-tenderer	
Full adderss of the E-tenderer	
Mobile number of the E-tenderer	
E-Mail Id of the E-tenderer	
Copy of pan card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card / Driving License etc.	
Copy of Bank passbook	
EMD Details (UTR/Reference no., date and amount)	
Tender Form Fee Details (UTR /Reference no., date and amount)	
Signed copy of term & condition.	

(मुख्य कृषि कार्यो के लिए नियम व शर्ते)

1. **प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रति कार्य धरोहर राशि खण्ड़ 1 के लिए अखरे रूपये 1,00,000/– (एक लाख रुपये), खण्ड–2 के लिए अखरे रूपये 30,000/– (तीस हजार रुपये) व खण्ड़–3 के लिए अखरे रूपये 1,00,000/– (एक लाख रुपये) व निविदा प्रपत्र** राशि 590/-रुपये (500+18% GST) **ई–निविदा की साइट पर जमा कराना होगा। असफल निविदादाता की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। एंव निविदा प्रपत्र शुल्क वापिस नही किया जयेगा।**
2. ठेकेदार को निविदा में उल्लेखित सभी कार्यों के लिए दरें देना अनिवार्य है। यदि किसी कार्य की दर नहीं भरी जाती है, तो भी ठेकेदार को वह कार्य करना अनिवार्य होगा, परंतु उस कार्य के लिए फार्म (Farm) द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. एक ठेकेदार केवल एक ही खंड में भाग लेगा।
4. ठेकेदार के आगामी बिलों का भुगतान तभी किया जाएगा जब वह पिछले माह के ESI/EPF कटौती के जमा चालान की प्रति एवं श्रमिकों को किए गए भुगतान का पूर्ण विवरण (Wage Sheet) प्रस्तुत करेगा।
5. निविदादाता किसी भी सरकारी या निजी संस्थान द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित (Blacklisted) नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र 50 रूपये के के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निविदा के साथ संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित कर लें कि स्टाम्प पेपर वर्तमान तिथि का हो और नोटरी द्वारा सत्यापित हो।
6. अगर किसी भी प्रकार की वैधानिक देयता बनती है तो सम्बंधित ठेकेदार की होगी ।
7. ठेकेदार/सफल निविदादाता द्वारा सभी दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार देनी होगी।
8. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 के अनुसार छोटे बच्चों, शराबी मजदूरों से कार्य करवाना सख्त मना है।
9. आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित प्रभारी द्वारा दूरभाष (Telephone) पर सूचना मिलते ही ठेकेदार को वांछित संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
10. "बीज उपचार एवं फसलों में कीटनाशक छिड़काव (Spray) के समय ठेकेदार अपने व्यय पर श्रमिकों को मास्क , दस्ताने और आवश्यक सुरक्षा उपकरण (PPE Kit) उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों , गर्भवती महिलाओं एवं बीमार श्रमिकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्य के दौरान यदि किसी भी श्रमिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (जैसे दवाई का असर होना या जहर फैलना), तो ऐसी स्थिति में उपचार का समस्त व्यय अनिवार्य रूप से ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जाएगा।"
11. "कार्य के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में फार्म प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।"।
12. सफल निविदादाता स्वयं अथवा प्रतिनिधि को नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। प्रतिदिन सफल निविदादाता अथवा प्रतिनिधि खडं प्रभारी/चक प्रभारी से सम्पर्क कर होने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त करेगा एवं खडं प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करेगा। चूँकि कृषि कार्य समय पर किया जाना अतिआवश्यक है अन्यथा फसलों की गुणवत्ता व उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। यदि सम्बन्धित सफल निविदादाता/प्रतिनिधि नियमित रूप से उपस्थित नही होता है एंवम सम्पर्क स्थापित नहीं हो पता है/सम्पर्क स्थापित हो जाता है परन्तु कार्य नही किया जाता है/ कार्य करने हेतु पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था नही की जाती है। तो बिना किसी लिखित नोटिस के फार्म द्वारा अपने स्तर पर सम्बन्धित कार्य करवा लिया जावेगा। एंवम उस पर आने वाले सम्पूर्ण खर्च का भुगतान सम्बन्धित सफल निविदादाता से किया जावेगा। इस प्रकार का कृत्य बार-बार दोहराने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी एंवम ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
13. फसलों में किये गये कृषि कार्यों की जांच का कार्य फार्म प्रमुख द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो फार्म प्रमुख द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
14. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल 7 दिवस मे प्रस्तुत करना होगा।

15. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी धरोहर राषि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।
16. फार्म के किसी कर्मचारी/अधिकारी के रिश्तेदारो द्वारा निविदा में भाग लेना मान्य नही होगा, यदि वह किसी कर्मचारी का रिश्तेदार पाया जाता है तब संबधित ठेकेदार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी व फार्म के नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।
17. फार्म के प्रत्येक मुरब्बे में फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार सिंचाई/पलेवा करने का कार्य आऊट–लेट की क्षमता के अनुसार करना होगा।
18. फार्म क्षेत्र में फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार रसायनिक उर्वरकों का छिड़काव/बुरकाव करने का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा।
19. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार मुरब्बे में निराई–गुड़ाई का कार्य गुणवता युक्त समय पर करना होगा।
20. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार खाळों–नालों की सफाई का कार्य निर्धारित मापदण्डों मे अनुसार करना होगा।
21. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार खड़ी फसलों मे रोगिंग का कार्य गुणवता क अनुरूप समय पर कराना होगा।
22. निविदादाता द्वारा सभी प्रकार के कृषि कार्यो को समय पर करवाने के लिए पर्याप्त संख्या मे मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी। समय पर कार्य नहीं करवाने की स्थिति में फार्म द्वारा अपने स्तर पर कार्य करवा लिया जायेगा। जिस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई आपके बिलों से की जायेगी।
23. बीज उत्पादन के लिये पृथक करण ,रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी।
24. विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन की हानि एंव दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नही होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भ्गतान करना पड.ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
25. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवं अन्य कियाओं की अनुमति नहीं होगी।
26. ठेकेदार को ठेके के किसी भी कार्य को सबलेट करने का अधिकार नही होगा।
27. ठेकेदार को अपना पेन कार्ड न.0 देना होगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 भी काटेगा।
28. निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से नही करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है। जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा।
29. ठेकेदार का संबन्ध केवल कृषि कार्य से रहेगा ।
30. ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थाई निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत कार्यो के अतिरिक्त) नही होगा।
31. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
32. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
33. ठेकेदार संबंध केवल कृषि कार्यो से संबंधित होगा, वह अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना,मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो, उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां व बिल राशि जब्त कर ली जायेगीं।
34. ठेकेदार द्वारा सभी कार्य फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार ही करने होगे।
35. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

36. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्ंवय जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें।
37. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
38. निविदादाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव मे यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी।
39. फार्म प्राधिकारी को निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
40. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को निरस्त कर ठेकेदार को 02 वर्षों के लिये डिबार कर दिया जायेगा।
41. रू. 500/– के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।
42. मध्यस्थता खंड (Arbitration clause): यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत , दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

    In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

उपरोक्त सभी शर्ते क्रं.सं. 1 से 42 तक मैने पढ़ ली, सून ली मुझे सभी शर्ते मंजुर है। मैं निर्धारित नियम शर्तों के अनुसार ही कार्य करूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

विभिन्न उद्यानिकी कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2026-27

1. उद्यान एवम् नर्सरी कार्यों की निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र , जैसे आधार कार्ड चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो।
2. विभिन्न उद्यानिकी कार्यों को करने के इच्छुक ठेकेदार को उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का ठेका एक वर्ष के लिए लेने हेतु ईएमडी रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) व निविदा प्रपत्र राशि 590/-रुपये (500+18% GST) को ई-निविदा की साइट पर जमा कराना होगा। असफल निविदादाता की ईएमडी राशि निविदा समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। एंव निविदा प्रपत्र शुल्क वापिस नही किया जयेगा।
3. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) के नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर जो पार्टी को उपलब्ध करवाना होगा पर एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें।
4. अगर किसी भी प्रकार की वैधानिक देयता बनती है तो सम्बंधित ठेकेदार की होगी ।
5. ठेकेदार/सफल निविदादाता द्वारा सभी दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार देनी होगी।
6. यह अनुबंध दोनों फर्मों के बीच समझौता होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए समान नियम-शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
7. फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए बिना किसी वृद्धि/वृद्धि के किसी भी कारण से , जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा। उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई. बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।
8. ठेकेदार को निविदा में उल्लेखित सभी कार्यों के लिए दरें देना अनिवार्य है। यदि किसी कार्य की दर नहीं भरी जाती है , तो भी ठेकेदार को वह कार्य करना अनिवार्य होगा, परंतु उस कार्य के लिए फार्म (Farm) द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. सफल निविदादाता स्वयं अथवा प्रतिनिधि को नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। सप्ताह में 2 बार सफल निविदादाता अथवा प्रतिनिधि उधान प्रभारी से सम्पर्क कर होने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त करेगा एवं उधान प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करेगा। चूँकि उधानिकी कार्य को समय पर किया जाना अतिआवश्यक है अन्यथा गुणवत्ता व उत्पादन प्रभावित होना/पौधों के नष्ट होने से इंकार नही किया जा सकता है । यदि सम्बन्धित सफल निविदादाता/प्रतिनिधि नियमित रूप से उपस्थित नही होता है एंवम सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है/सम्पर्क स्थापित हो जाता है परन्तु कार्य नही किया जाता है/ कार्य करने हेतु पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था नही की जाती है। तो बिना किसी लिखित नोटिस के फार्म द्वारा अपने स्तर पर सम्बन्धित कार्य करवा लिया जावेगा। एंवम उस पर आने वाले सम्पूर्ण खर्च का भुगतान सम्बन्धित सफल निविदादाता से किया जावेगा। इस प्रकार का कृत्य बार-बार दोहराने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी एंवम ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
10. निविदादाता किसी भी सरकारी या निजी संस्थान द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित (Blacklisted) नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र 50 रूपये के के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निविदा के साथ संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित कर लें कि स्टाम्प पेपर वर्तमान तिथि का हो और नोटरी द्वारा सत्यापित हो।
11. आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित प्रभारी द्वारा दूरभाष (Telephone) पर सूचना मिलते ही ठेकेदार को वांछित संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
12. फार्म के किसी कर्मचारी/अधिकारी के रिश्तेदारो द्वारा निविदा में भाग लेना मान्य नही होगा, यदि वह किसी कर्मचारी का रिश्तेदार पाया जाता है तब संबधित ठेकेदार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी व फार्म के नियमानुसार कार्यवाही भी की जाये्गी।
13. **फार्म के प्रत्येक मुरब्बे में फार्म अधिकारी/उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार सिंचाई/पलेवा करने का कार्य आऊट–लेट की क्षमता के अनुसार करना होगा।**
14. **फार्म क्षेत्र में फार्म अधिकारी/उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार रसायनिक उर्वरकों का छिड़काव/बुरकाव करने का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा।**
15. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बधित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है।
16. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी / खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेगें यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलो से काटी जायेगी।

17. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवं अन्य कियाओं की अनुमति नहीं होगी।
18. निविदादाता को उद्यान मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार नर्सरी/बाग/मुरब्बा में निराई–गुड़ाई का कार्य गुणवता युक्त समय पर करना होगा।
19. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार खाळों–नालों की सफाई का कार्य निर्धारित मापदण्डों मे अनुसार करना होगा।
20. बीज उत्पादन के लिये पृथक करण ,रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी।
21. विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन की हानि एंव दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नही होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड.ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
22. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवं अन्य कियाओं की अनुमति नहीं होगी।
23. ठेकेदार को ठेके के किसी भी कार्य को सबलेट करने का अधिकार नही होगा।
24. ठेकेदार को अपना पेन कार्ड न.0 देना होगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 भी काटेगा।
25. ठेकेदार का संबंध केवल उद्यानिकी कार्यो से संबंधित होगा, वह अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना,मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो, उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां व बिल राशि जब्त कर ली जायेगीं।
26. ठेकेदार द्वारा सभी कार्य फार्म अधिकारी/उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार ही करने होगे।
27. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा नर्सरी/बाग/फसल को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
28. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्ंवय जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें।
29. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तो की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
30. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तो का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मो पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।
31. उद्यानिकी कार्यों को करने के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण जैसे- खुरपी, स्केटियर, बडिंग चाकू, कस्सी, कसोला, दराती आदि अन्य आवश्यक उपकरण ठेकेदार/ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
32. कार्यों की जांच का कार्य फार्म द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
33. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा ठेकेदार अपने खर्च पर श्रमिको संसाधनों व श्रमिको की व्यवस्था करेगा। विषेश स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
34. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।
35. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से की जावेगी।
36. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पलोट/मुराबा/चक का बिल अलग-अलग देना होगा।
37. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यो का बिल पखवाड़े अथवा महीने के हिसाब से प्रस्तुत करना होगा।
38. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो यह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
39. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।

40. यदि फार्म सुपरवाईजर/अधिकारी/कमचारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

41. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो. जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।

42. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

43. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय का कार्य करते समय मारक व दस्ताने स्वयं देने होगें। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों को काम पर नहीं लगायेगा तथा उद्यान इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।

44. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

45. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसकी ईएमडी राशि/सुरक्षा राशी या दोनो को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षो के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा व उद्यानिकी कार्यो व अन्य कार्यो से जुड़े बिलो का भुगतान नही किया जायेगा।

46. सभी कार्यो के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी।

47. सफल निविदादाता को आवंटित चक/क्षेत्र में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नहीं किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नही होगा।

48. यदि ठेकेदार या उसके किसी कामगार/व्यक्ति द्वारा टेंडर की नियम एवं शर्तो की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो निगम को हुए नुकसान की भरपाई उसके बिलों एवं किसी भी प्रकार की जमा राशि से की जाएगी एवं नियमो की अवहेलना एवं नुकसान की गंभीरता को देखते हुए उसके उपर जुर्माना लगाया जा सकता है या 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाला जा सकता है या जुर्माना लगाते हुए 02 वर्षो के लिये डिबार सूची में भी डाला जा सकता है ।

49. मध्यस्थता खंड (Arbitration clause): यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत , दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा–प्रपत्र
(Financial Bid)

खरीफ 2026, रबी 2026–27 व जायद 2027 व उद्यान मे करवाये जाने वाले मुख्य कृषि कार्यो, उद्यान/नर्सरी व अन्य मिश्रित कार्यो को ठेके के आधार पर करने के लिए मेरी प्रस्तावित दरें इस प्रकार से हैः– (For various agricultural & horticultural operations during cropping season 2026-27, my proposed rates are as follows:-)

(अ). कृषि कार्यों के लिएः–
A. For agricultural operations:-

NAME OF THE CONTRACTOR/FIRM			
नोटः- 1. सभी कार्यो के लिए दरे देना अनिवार्य होगा। **2. एक ठेकेदार केवल एक ही खंड में भाग लेगा।**			**खंड**
	खंडवार दरें Block wise Rate		
क्र.सं. S.No.	**कार्य का विवरण** **Description of Work**	**यूनिट** **Unit**	**दर (रूपये मे) (सभी करों सहित) Rate in Rs. (Inclusive of all taxes etc.)**
1	**कच्चा खाला साफ करना** Cleaning of Watercourse	**प्रति मीटर** Per meter	
2	**कच्चा खाला खुदाई करना (6'' से 9'' तक)** Desilting of Watercourse (6" to 9")	**प्रति मीटर** Per meter	
3	**पक्के खाले की मिट्टी निकालना किनारे की सफाई करना** Desilting of Linning Watercourse and cleaning of sidelines of watercourse	**प्रति मीटर** Per meter	
4	**माइनर की मिट्टी निकालना एवं माइनर के किनारे की सफाई करना** Desilting of minor and cleaning of sidelines of Minor	**प्रति मीटर** Per meter	
5	**पलेवा/प्रथम सिंचाई की दर** Pre sowing/First Irrigation	**प्रति एकड** Per acre	
6	**उत्तरगामी सिंचाई की दर** Onward Irrigation	**प्रति एकड** Per acre	
7	**टयूबैल द्वारा सिंचाई करना** **tube well irrigation**	**प्रति एकड** Per acre	
8	**फसलों मे कसोला द्वारा गुड़ाई करना** Weeding by kasola	**प्रति एकड** Per acre	
9	**ऊँट द्वारा हल चलाना, निराई गुड़ाई करना** Ploughing and intercultural operation by using camel	**प्रति एकड** Per acre	
10	**खूँटी हल चलाना** Khunti harrow	**प्रति एकड** Per acre	
11	**फसलों मे से काचर बेल उखाड़ना** Uprooting of kachar bel from sown area	**प्रति एकड** Per acre	
12	**चना, मूंग, मोठ, उडदए अलसी फसलों मे रोगिंग करना** Rouging in pulse crops	**प्रति एकड** Per acre	
13	**अन्य फसलों मे रोगिंग करना** Rouging in other Crops	**प्रति एकड** Per acre	
14	फसलों में हाथ से खरपतवार उखाड़ना (विशेष परिस्थितियों में) Weeding in crop by hand(Manual) (in special condition)	**प्रति एकड** Per acre	
15	**हाथ से खाद छिडकना** DAP, UREA,NPK, Zypsum, SSP, MOP Broadcasting of DAP, Urea, NPK, Zypsum, SSP & MOP with the help of fertilizer broadcaster	**प्रति एकड** Per acre	
16	**फार्म के मशीन से फसलों में खाद (एफ.बी.सी.)** DAP, UREA, NPK, Zypsum, SSP, MOP खाद छिडकने हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाना	प्रति एकड	

	Fertilizer Broadcasting (FBC) DAP, UREA, NPK, Zypsum, SSP & MOP by laborers by farm machine	Per acre	
17	बीज उपचारित करना	प्रति क्विंटल	
	Seed Treatment	Per quintal	
18	फार्म ट्रेक्टर द्वारा श्रमिको से बिजाई करवाना	प्रति एकड	
	Sowing by laborers by Own tractor	Per acre	
19	खाद बीज उतारना	प्रति क्विंटल	
	Loading of fertilizer, Seed etc.	Per quintal	
20	खाद बीज लादना	प्रति क्विंटल	
	Unloading of fertilizer, Seed etc.	Per quintal	
21	प्राईवेट ट्रैक्टर द्वारा लम्बी पाइप से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड	
	Spraying in crops with the help of long spray pipe using own tractor	Per acre	
22	फार्म के ट्रैक्टर द्वारा श्रमिको से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड	
	Spraying in crop with the help of laborers by Own tractor	Per acre	
23	प्राईवेट शक्तिमान स्प्रेयर से स्प्रे करवाना	प्रति एकड	
	Spraying with a private shaktiman sprayer	Per acre	
24	चुहों के नियंत्रण हेतु दवाई डालना	प्रति एकड	
	Rat control drug	Per acre	
25	मूली ट्रांसप्लांटिग	प्रति एकड	
	Transplanting of radish	Per acre	
26	मूंगफली डिकोर्टिकेशन	प्रति क्विंटल	
	G.Nut Decortication	Per quintal	
27	ड्रेंचिंग	प्रति एकड	
	Drenching	Per acre	
28	कम्बाईन हार्वेस्टींग के पश्चात् खेत के बाहरी हिस्से तथा मेड़ों पर बची फसल को हाथ से काटकर इक्ट्ठा करना (मोपिंग)	प्रति एकड	
	Moping the crop left after combine harvesting by cutting it by hand on the outskirts of the field and on the ridghes	Per acre	
29	FOM (Fermented Organic Manure)/ भुवेदयम का भुरकाव करना	प्रति एकड	
	Broadcasting FOM (Fermented Organic Manure)/ Bhuvedayam	Per acre	
30	घनजीवामृत का छिडकाव करना (प्राकृतिक खेती हेतु)	प्रति एकड	
	sprinkling ghanjeevamrit (Natural Farming)	Per acre	
31	मल्चिंग करवाना (प्राकृतिक खेती हेतु)	प्रति एकड	
	getting mulching done (Natural Farming)	Per acre	
32	खड़े पेड़ों के तने पर कील व हथोडी के माध्यम से लोहे की पट्टी लगाना, उस पर परमानेंट मार्कर से नंबर अंकित करना, पेड़ों का प्रजातिवार गर्थवार रिकार्ड बनाकर देना।	प्रति पेड़	
	Hammering iron plates through iron nail on tree and Measurement of girth, provide the number and make a record girth wise and kind of tree.	Per Plant	
33	पेड़ों के तने पर लगी लोहे की पट्टी पर पूर्व में लगे नंबर को मिटाकर परमानेंट मार्कर से नये नंबर लगाना, पेडों का प्रजातिवार गर्थवार रिकार्ड बनाकर देना।	प्रति पेड़	
	Erasing the previous Numbers on the iron strips fixed on the tree and putting new numbers with a permanent marker, make a record girth wise and kind of tree.	Per Plant	
34	पली बनाना दर प्रति पल्ली साइज (6 X 6 कटटा)	दर प्रति पल्ली	
	Palli banana rate per palli size (6*6 katta)	Rate Per Palli	

(ब) उद्यान एंव नर्सरी के लिए :–

NAME OF THE CONTRACTOR/FIRM

नोटः- 1. सभी कार्यो के लिए दरे देना अनिवार्य होगा।

क्र. सं. S.No.	कार्य का विवरण Description of Work	यूनिट Unit	1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के लिए दर प्रति पौधा (Rate per plant for 1 to 3 years age group)	3 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए दर प्रति पौधा (Rate per plant for age group above 3 years)
1	कच्चा खाला साफ करना	प्रति मीटर		
	Cleaning of Watercourse	Per meter		
2	कच्चा खाला खुदाई करना (6'' से 9'' तक)	प्रति मीटर		
	Desilting of Watercourse (6" to 9")	Per meter		
3	पक्के खाले की मिट्टी निकालना किनारे की सफाई करना	प्रति मीटर		
	Desilting of Linning Watercourse and cleaning of sidelines of watercourse	Per meter		
4	माइनर की मिट्टी निकालना एवं माइनर के किनारे की सफाई करना	प्रति मीटर		
	Desilting of minor and cleaning of sidelines of Minor	Per meter		
5	पलेवा/प्रथम सिंचाई की दर	प्रति एकड		
	Pre sowing/First Irrigation	Per acre		
6	उत्तरगामी सिंचाई की दर	प्रति एकड		
	Onward Irrigation	Per acre		
7	टयूबैल द्वारा सिंचाई करना	प्रति एकड		
	tube well irrigation	Per acre		
8	गढ्ढा को साइज 3×3×3 फुट वृताकार का खोदना, खाद डालना, मिलाना व गढ्ढा भरना (छोटे एंव बड़े दोनो के लिए) दर प्रति गढ्ढा	प्रति गढ्ढा		
	Digging of circular pit (3X3X3 Feet), prepare the mixture of Soil & fertilizer and put it back on pit Rate Per pit.	Rate Per pit.		
9	गढ्ढा को साइज 2×2×2 फुट वृताकार का खोदना, खाद डालना, मिलाना व गढ्ढा भरना (छोटे एंव बड़े दोनो के लिए) दर प्रति गढ्ढा	प्रति गढ्ढा		
	Digging of circular pit (2X2X2 feet), prepare the mixture of soil & fertilizer and put it back on pit Rate Per pit.	Rate Per pit.		
10	1×1×1 फुट साइज का गढ्ढा खोदना, नर्सरी से पौधो को फार्म साधन से लगाने वाले स्थान पर ले जाकर, पौधा लगाकर उसमे पानी डालना। दर प्रति गढ्ढा	प्रति गढ्ढा		
	Digging of pit (1X1X1 feet),shifting of sapling from Nursery to transplanted area using farm trolley, transplanting of sapling, after transplanting provide irrigation. Rate Per pit.	Rate Per pit.		
11	पेड़ो के नीचे बिना जुती जमीन की फावड़े से गुड़ाई करना व तने पर मिट्टी चढ़ना। दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Cleaning & light digging of soil under the tree with the help of spade and erthening of soil near the trunk of the plant. Rate Per Plant	Per Plant		
12	खाद, उर्वरक डालकर फावड़े से गुड़ाई करना व मिट्टी मे मिलाना दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Broadcasting of fertilizer etc into the soil under the tree and mix it well with the help of spade. Rate Per Plant	Per Plant		

13	बोडो पेस्ट बनाना, कटाई–छंटाई की गई शाखाओं के कट भाग पर पेन्ट की पुताई करना तथा मुख्य तने पर दो से तीन फुट की ऊंचाई तक पेन्ट करना। दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Making of Bodo paste, pasting of it on wounded parts and on main shoot up to the height of 2-3 Feet	Per Plant		
14	जट्टी-खट्टी के फलों को तोड़कर, बीज निकालना, क्यारी बनाकर बिजाई करना दर प्रति किलो	Per Plant		
	Sowing of jatti-khatti seed in defined place after the extraction of seed from jatti-khatti fruit	प्रति किलो		
15	पोलीथील की थैली मे खाद, दवा का मिश्रण करना, बनाना, थैली मे भरकर क्यारी मे लाइन से लगाना दर प्रति थैली (बैग)	(4X10)"		
	Making of soil and fertilizer/agrochemical mixture for polybags and arranged it in defined places			
	पोलीथील की थैली मे खाद, दवा का मिश्रण करना, बनाना, थैली मे भरकर क्यारी मे लाइन से लगाना दर प्रति थैली (बैग)	(6X12)"		
	Making of soil and fertilizer/agrochemical mixture for polybags and arranged it in defined places			
16	पिन्डी सहित पौधो को नर्सरी से निकालना, घास–फूस से बाँधकर पैकिंग करना दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Packing of sapling with the help of crop residue etc after safely uprooting of saplings from nursery	Per Plant		
17	नर्सरी मे तैयार पौधों को पिन्डी सहित निकालना तथा क्यारी बनाकर लगाना व पानी देना। दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Safely up roting of sapling from nursery then transplanting it on defined places and provide irrigation	Per Plant		
18	नर्सरी की क्यारी/ पोलीथिन बैग में लगे पौधों से हाथ व खुरपी की सहायता से निराई-गुड़ाई करना (10×1 मीटर की क्यारी मे से)। दर प्रति वर्गमीटर	दर प्रति वर्गमीटर		
	Weeding the plants grown in polythene bags in the nursery with the help of hand and Weeding of nursery area (10X1 m) using Khurapi			
19	नींबू प्रजाति व अन्य पौधो को उखाड़कर क्यारी मे बदलना (बीजू व छोटे पौधो को), पानी लगाना। दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Safely uprooting of citrus etc (insitu and other small sapling) from nursery then transplanting it on defined place and provide irrigation	Per Plant		
20	तैयार पौधों को नर्सरी से उखाड़ना, पैक करना व लगने वाले स्थान पर बाग मे लगाना। दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Packing of sapling with the help of Crop residue etc after safely uprooting of sapling from nursery, transplant them at defined site	Per Plant		
21	खजूर के पौधों की कटाई–छंटाई कर पत्तियों को खेत से बाहर करना/जलाना। दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Removal of date palm leave from the orchard after training and pruning of date palm tree	Per Plant		
22	ट्रक से पौधो को उतारना/चढ़ाना दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Loading and unloading of sapling from truck/trolley etc.	Per Plant		
23	जोजोबा व अन्य पौधों के फल एकत्रित कर बीज निकलना एवं सफाई करना। दर प्रति किलो	प्रति किलो		
	Collection of Zozoba fruits from plants, removal of seed from the fruits and cleaning of seed	Per KG		
24	नयी क्यारी 10X1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना । दर प्रति वर्गमीटर	प्रति		

	New Bed 10X1 m. to prepare by making a shape	वर्गमीटर		
25	पोलीथीन बैग में तैयार किये पोधों को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में शिफ्ट करना I दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Shifting small seedling plants into beds/polythene bags	Per Plant		
26	बडिंग/ग्राफ्टिंग किये गये पौधों को क्यारी बनाकर शिफ्ट करना I दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Shifting the plants prepared in polythene bags from one bed to another	Per Plant		
27	खजूर के अतिरिक्त अन्य विभिन्न उद्यानिकी पौधों की आवश्यकतानुसार कटाई-छटाई करना I दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Apart from date palm, harvesting and pruning of various other horticultural plants as per requirement (big and small)	Per Plant		
28	फार्म में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों से 6-9 इंच तक की कटिंग काटना I दर प्रति कटिंग	प्रति कटिंग		
	Cutting of 6-9 inch cutting from various horticultural/forestry plants available in the farm	Per Cutting		
29	नर्सरी में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों की कटिंग को तैयार क्यारी में/तैयार पोलीथीन बैग में लगाना I दर प्रति कटिंग	प्रति कटिंग		
	Planting the cutting of various horticultural/Forestry plants available in the nursery in prepared polythene beds	Per Cutting		
30	नर्सरी में/ फार्म में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों से बीज एकत्रित करना व एकत्रित किये गये बीजों को तैयार क्यारी में/तैयार पोलीथीन बैग में लगाना I दर प्रति बैग	प्रति बेग		
	Planting seed of various horticultural/Forestry plants available in the nursery in prepared polythene begs in the prepared beds	Per Beg		
31	फार्म में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों से बड/ग्राफ्ट काटना एवं नर्सरी में तैयार मूलवृन्त पर बडिंग/ग्राफ्टिंग करना I दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Cutting buds/grafts from various horticultural/forestry plants available in the farm and budding/grafting on the rootstock prepared in the nursery	Per Plant		
32	बाग़ में फलदार पौधों की डिसबडिंग करना I दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Disbudding of fruit plants in the garden	Per Plant		
33	फार्म में उपलब्ध खजूर के पेड़ों से खजूर के सकर्स जड़ व मिट्टी सहित निकलना , उक्त निकाले गये सकर्स की आवश्यकतानुसार कटाई-छटाई करना , फार्म के साधन में लोड करना, बाग में लगाने वाले स्थान पर अनलोड करना , मिट्टी खाद व रसायन आदि का मिश्रण तैयार कर पहले से खोदे हुए गढ्ढे में सकर्स को लगाना व फार्म द्वारा उपलब्ध करवाएं गये साधन से एक पानी लगाकर देना I दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Extracting date suckers along with roots and soil from the date palm trees available in the farm, harvesting and pruning the extracted suckers as per requirement, loading them into the farm equipment unloading them at the place to be planted in the garden, Prepare a mixture of soil, Fertilizer and chemical etc. and palnt the suckers in	Per Plant		

	the pre-dug pit. To provide one irrigation from the irrigation source available in the farm. Per plant			
34	बाग में लगे पौधों के चारों तरफ /बट के अनुसार फावड़े की सहायता से 1-3 फीट तक पोधे के चारों तरफ ऊचाई में बट की तरह मेड बनाकर गोलाकार थाला तैयार करना **दर प्रति पौधा**	प्रति पौधा		
	Preparing a circular Mound around the plants in the garden up to a heigh of 1-3 feet with the help of a spade, like a butt, around the plants. Rate per plant.	Per Plant		
35	स्वयं के साधन व श्रमिकों (ट्रैक्टर , पानी के टैंकर एवं अन्य सभी आवश्यक संसाधनों) से फार्म में उपलब्ध पानी के स्रोत से टैंकर में पानी भर कर लाना, फार्म में बाग में लगाये गये पौधों में थाला बनाकर पानी देना (सभी श्रमिक एवं सभी संसाधन स्वयं ठेकेदार के होंगे एंव प्रत्येक पोधे में 20-30 लीटर पानी देना) दर प्रति पोधा	प्रति पौधा		
	Using one's own resources and labor (tractors, water tankers and all other necessary resources), filling water in a tanker from the water source available in the farm, and watering the plants planted in the garden in the farm by making a bag. (All labor and all resources will be from the contractor himself and 20-30 liters of water will be given to each plant) Rate per plant	Per Plant		
36	स्वयं के साधन वं श्रमिकों (ट्रैक्टर व पानी का टैंकर एवं अन्य सभी आवश्यक साधन) से फार्म में उपलब्ध पानी के स्रोत से टैंकर में पानी भर कर लाना , फार्म में बाग़ में थाला पहले से बने पोधो में पानी देना (सभी श्रमिक एवं सभी संसाधन स्वयं ठेकेदार के होंगे एंव प्रत्येक पौधे में 20-30 लीटर तक पानी देना) दर प्रति पोधा	प्रति पौधा		
	Bringing water in the tanker from the water source available in the farm with one's own resources and labor (tractor, water tanker and all other necessary resources), watering the plants already made in the garden in the farm. (All labor and all resources will be from the contractor himself and 20-30 liters of water will be provided to each plant) Rate per plant	Per Plant		
37	फार्म के साधन (ट्रैक्टर व पानी का टैंकर व अन्य सभी आवश्यक संसाधन) से स्वंय के श्रमिक लगाकर फार्म में उपलब्ध पानी के स्त्रोत से टेंकर में पानी भर कर लाना, फार्म में बाग़ में लगाये गये पोधो में थाला बनाकर पानी देना (साधन फार्म द्वारा उपलब्ध करवाएं जायेंगे एंव सभी श्रमिक स्वयं ठेकेदार के होंगे एंव प्रत्येक पोधे में 20-30 लीटर तक पानी देना ।) दर प्रति पोधा	प्रति पौधा		
	Using the resources of the farm (tractors, water tankers and all other necessary resources), employing one's own labor, filling water in the tanker from the water source available in the farm, watering the plants planted in the garden in the farm by making a container. (The resources will be provided by the farm and all the labor will be from the contractor himself and 20-30 liters of water will be given to each plant.) Rate per plant	Per Plant		
38	फार्म के साधन (ट्रैक्टर व पानी का टैंकर व अन्य सभी आवश्यक संसाधन) से स्वंय के श्रमिक लगाकर फार्म में उपलब्ध पानी के स्त्रोत से टेंकर में पानी भर कर लाना , फार्म में बाग़ में थाला पहले से बने	प्रति पौधा		

	पोधो में पानी देना (साधन फार्म द्वारा उपलब्ध करवाएं जायेंगे एंव सभी श्रमिक स्वयं ठेकेदार के होंगे एंव प्रत्येक पोधे में 20-30 लीटर तक पानी देना ।) दर प्रति पोधा			
	Using farm resources (tractors, water tankers and all other necessary resources), employing one's own labor, filling water in tankers from water sources available in the farm, and watering the already established plants in the gardens of the farm. (The resources will be provided by the farm and all the labor will be from the contractor himself and 20-30 liters of water will be given to each plant.) Rate per plant	Per Plant		
39	बेट्री चालित स्प्रे मशीन (16-25 लीटर क्षमता) से बाग़ में लगे पौधों में स्प्रे करना(जिसमे श्रमिक स्वयं फार्म द्वारा उपलब्ध करवाई गयी दवाई/ रसायन को टंकी में डालेगा एवं 01 मुरब्बा दुरी से पानी भरेगा) दर प्रति पौधा	प्रति पौधा		
	Spraying the plants in the garden with a battery operated spray machine (16-25 liter capacity) (in which the worker himself will put the medicine/chemical provided by the farm in the tank and fill water from 01 murabba distance) Rate per plant	Per Plant		
40	बेट्री चालित स्प्रे मशीन (16-25 लीटर क्षमता) से नर्सरी/खेत में खड़े पौधों में स्प्रे करना(जिसमे श्रमिक स्वयं फार्म द्वारा उपलब्ध करवाई गयी दवाई/ रसायन को टंकी में डालेगा एवं 01 मुरब्बा दुरी से पानी भरेगा) दर प्रति एकड़	**प्रति एकड़**		
	Spraying the plants standing in the nursery/field with a battery operated spray machine (16-25 liter capacity) (in which the worker himself will put the medicine/chemical provided by the farm in the tank and fill water from 01 Murabba distance) at the rate per acre.	**Per Acer**		
41	उधान प्रभारी के बताये गये निर्देशानुसार गेंदा, गुलदाउदी, कैलेंडुला व अन्य वार्षिकी फूलदार पोधो की खेत से फूल की तुड़ाई का कार्य जिसमे ठेकेदार खेत से फूल तोड़कर एकत्रित करके तुलाई करवाकर फार्म को सुपुर्द करेगा । (दर प्रति किलो) As per the instructions given by the garden in-charge, the work of plucking flowers from the field of marigold, chrysanthemum, calendula and other annual flowering plants in which the contractor will pluck the flowers from the field, collect them, get them weighed and hand them over to the farm. (Rate per kg)	गेंदा (दर प्रति किलो)		
		गुलदाउदी (दर प्रति किलो)		
		कैलेंडुला (दर प्रति किलो)		
42	उधान प्रभारी के बताये गये निर्देशानुसार गेंदा, गुलदाउदी, कैलेंडुला व अन्य वार्षिकी फूलदार पोधो के तुड़ाई करके एकत्रित किये गये फूलों से बीज निकालने का कार्य जिसमे ठेकेदार बीज निकलकर एकत्रित करके तुलाई करवाकर फार्म को सुपुर्द करेगा एंव कचरा भी फार्म द्वारा ही रखा जायेगा । (दर प्रति किलो) As per the instructions given by the garden in-charge, the work of extracting seeds from the flowers collected after plucking of marigold, chrysanthemum, calendula and other annual flowering plants, in which the contractor will extract the seeds, collect them, get them weighed and hand them over to the farm and the waste will also be kept by the farm itself.	गेंदा (दर प्रति किलो)		
		गुलदाउदी (दर प्रति किलो)		
		कैलेंडुला (दर प्रति किलो)		
43	जमीन में प्रवर्धन किये गये किन्नो, मौसमी व अन्य उधानिकी पोधो को बेचान करने हेतु/ अन्य उपयोग हेतु घास-फूस (सरपत/ सरकना) आदि से गुच्छी बांधकर तैयार करना (दर प्रति गुच्छी)	प्रति गुच्छी		

	Preparing kinnow, seasonal and other horticultural plants propagated in the ground by tying them in bunches with grass and straw for selling/other use (rate per bunch)	Per bunch		
44	उधान प्रभारी के बताये गये निर्देशानुसार फार्म के तीनो खंडो में अलग अलग जगहों से वानिकी पौधों, सजावटी पौधों, एवेन्यू पौधों, सब्जी बीज आदि के कुल 1000 क्विंटल मात्रा में बीजो का संग्रहण करना (दर प्रति क्विंटल)	प्रति क्विंटल		
	As per the instructions given by the crop in-charge, collecting a total of 1000 quintals of seeds of forestry plants, ornamental plants, avenue plants, vegetable seeds etc. from different places in all three sections of the farm. (rate per quintal)	Per qtl.		
45	गेंदा एवं अन्य पुष्पीय पौधों का पोधा रोपण (Transplanting) कार्य करना transplantation of marigold and other floral crops.			
46	फसलों मे कसोला द्वारा गुड़ाई करना	प्रति एकड		
	Weeding by kasola	Per acre		
47	ऊँट द्वारा हल चलाना, निराई गुड़ाई करना	प्रति एकड		
	Ploughing and intercultural operation by using camel	Per acre		
48	खूँटी हल चलाना	प्रति एकड		
	Khunti harrow	Per acre		
49	फसलों मे से काचर बेल उखाड़ना	प्रति एकड		
	Uprooting of kachar bel from sown area	Per acre		
50	चना, मूंग, मोठ, उडदए अलसी फसलों मे रोगिंग करना	प्रति एकड		
	Rouging in pulse crops	Per acre		
51	अन्य फसलों मे रोगिंग करना	प्रति एकड		
	Rouging in other Crops	Per acre		
52	फसलों में हाथ से खरपतवार उखाड़ना (विशेष परिस्थितियों में)	प्रति एकड		
	Weeding in crop by hand(Manual) (in special condition)	Per acre		
53	हाथ से खाद छिडकना DAP, UREA,NPK, Zypsum, SSP, MOP	प्रति एकड		
	Broadcasting of DAP, Urea, NPK, Zypsum, SSP & MOP with the help of fertilizer broadcaster	Per acre		
54	फार्म के मशीन फसलों में खाद (एफ.बी.सी.) DAP, UREA, NPK, Zypsum, SSP, MOP खाद छिडकने हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाना	प्रति एकड		
	Fertilizer Broadcasting (FBC) DAP, UREA, NPK, Zypsum, SSP & MOP by laborers by farm machine	Per acre		
55	बीज उपचारित करना	प्रति क्विंटल		
	Seed Treatment	Per quintal		
56	फार्म ट्रेक्टर द्वारा श्रमिको से बिजाई करवाना	प्रति एकड		
	Sowing by laborers by Own tractor	Per acre		
57	खाद बीज उतारना	प्रति क्विंटल		
	Loading of fertilizer, Seed etc.	Per quintal		
58	खाद बीज लादना	प्रति क्विंटल		
	Unloading of fertilizer, Seed etc.	Per quintal		
59	प्राईवेट ट्रैक्टर द्वारा लम्बी पाइप से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड		

	Spraying in crops with the help of long spray pipe using own tractor	Per acre		
60	फार्म के ट्रैक्टर द्वारा श्रमिको से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड		
	Spraying in crop with the help of laborers by Own tractor	Per acre		
61	प्राईवेट शक्तिमान स्प्रेयर से स्प्रे करवाना	प्रति एकड		
	Spraying with a private shaktiman sprayer	Per acre		
62	चुहों के नियंत्रण हेतु दवाई डालना	प्रति एकड		
	Rat control drug	Per acre		
63	मूली ट्रांसप्लांटिग	प्रति एकड		
	Transplanting of radish	Per acre		
64	मूंगफली डिकोर्टिकेशन	प्रति क्विंटल		
	G.Nut Decortication	Per quintal		
65	ड्रेंचिंग	प्रति एकड		
	Drenching	Per acre		
66	FOM (Fermented Organic Manure)/ भुवेदयम का भुरकाव करना	प्रति एकड		
	Broadcasting FOM (Fermented Organic Manure)/ Bhuvedayam	Per acre		
67	खड़े पेड़ों के तने पर कील व हथोडी के माध्यम से लोहे की पट्टी लगाना, उस पर परमानेंट मार्कर से नंबर अंकित करना, पेड़ों का प्रजातिवार गर्थवार रिकार्ड बनाकर देना।	प्रति पेड़		
	Hammering iron plates through iron nail on tree and Measurement of girth, provide the number and make a record girth wise and kind of tree.	Per Plant		
68	पेड़ों के तने पर लगी लोहे की पट्टी पर पूर्व में लगे नंबर को मिटाकर परमानेंट मार्कर से नये नंबर लगाना, पेडों का प्रजातिवार गर्थवार रिकार्ड बनाकर देना।	प्रति पेड़		
	Erasing the previous Numbers on the iron strips fixed on the tree and putting new numbers with a permanent marker, make a record girth wise and kind of tree.	Per Plant		

निविदादाता के हस्ताक्षर
Signature of the tenderer ____________________

नाम व पता ____________________
Name and address ____________________

मोबाइल नंबर ____________________
mobile number